न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 2/2018

सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. मम्मल पुत्र उम्मेद
2. शेरमौहम्मद पुत्र रहमत
3. इलियास
4. कासम
5. फारूख पिसरान चावखां जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री यशपाल सैनी वकील वादी
श्री नसरू खाँ वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5

दिनांक :–23/11/2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 273/0.19, 180/3/0.17, 281/1/0.15 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मुताबिक जमाबन्दी बतौर खातेदार के रूप में वादी का कब्जा काश्त है जो बंटवारे में वादी के हिस्से में आई है। विवादित आराजी पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है और निरन्तर रूप से आराजी पर काश्त करता चला आ रहा हैं। बावजूद प्रतिवादीगण कब्जे काश्त वादी में मजाहमत व मदाखलत करते रहते है तथा वादी की आराजी पर लठ्ठ व ताकत के बल पर अवैध व नाजायज अतिक्रमण कर वादी को उसकी आराजी से बेदखल करना चाहते है। जिसके सबब वादी की आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती अवैध कब्जा करीब 1 साल पूर्व कर लिया है। जिसकी वादी ने पैमाईश कराई थी। जिसमें

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण का वादी की आराजी से कोई लेना देना नहीं है। वादी ने मौजिज व्यक्तियों के सामने आराजी से अवैध कब्जा को हटाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी से अवैध कब्जा हटाने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 31/12/2017 को ग्राम चिनावडा में स्पष्ट धमकी दी है और कहा है कि अभी तो हमने तेरी हिस्से की कुछ आराजी पर कब्जा किया है और मौका मिलते ही तेरी सम्पूर्ण आराजी पर अवैध कब्जा करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से ना हो सकेगी। विधि वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। विनाय मुखास्मत प्रथम दिनांक 31/12/2017 को ऐलानिया धमकी देने से वमुकाम पैदा हुई। दावा वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र के खातेदारी की भूमि है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। जिसे प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा नाजायज कर लिया है। जिसे वादी उक्त कब्जे को हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित आये । दिनांक 23/10/2018 को जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी ने यह दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ गलत तथ्य अंकित कर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं किया है। वादी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादीगण ने कभी भी उसकी कृषि भूमि के किसी हिस्से पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उसके किस–किस खसरा नम्बरान पर किस–किस व्यक्तियों ने किस–किस दिशा में नाजायज कब्जा किया है और उसके खसरा नम्बरान के आस–पास किन–किन व्यक्तियों के किस–किस दिशा में खसरा नम्बर है और किन–किन खसरा नम्बरों के खातेदारान द्वारा उसके किस–किस नम्बर पर किस दिशा में प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा है। वादी ने अपने खसरा नम्बरों की पैमाईश कराई थी जो पैमाईश रिपोर्ट की नकल फोटो प्रति दावे के साथ पेश की है वह साक्ष्य में ग्राही नहीं है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 06/10/2017 में केवल खसरा नम्बर 273 की पैमाईश होना बताया गया है। जो कानूनन गलत है। क्योकि पैमाईश रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया गया है कि उस दिन पैमाईश टीम ने किस मुख्य बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश चालू की और खसरा नम्बर 273 के अलावा उस दिन गठित टीम ने किन–किन नम्बरान की पैमाईश की और टीम द्वारा पडौसी

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारों को पैमाईश का कोई नोटिस दिया हो। इसका अंकन भी रिपोर्ट में नहीं है। प्रतिवादीगण का वादी की आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी के किसी भी नम्बर व किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण नहीं किया है और इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31/12/2017 को कोई धमकी नहीं दी गई है। वादी ने महज यह दावा प्रतिवादीगण की जमीन को हडपने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिजी के है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादी मम्मल ने आराजी मुत0 के कुछ हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा करीब 1 वर्ष पूर्व कर लिया है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया मुताबिक पैमाईश वादी की खातेदारी की आराजी प्रतिवादी मम्मल ने दबा रखी है।

.....वादी

तनकी संख्या 4 :– आया वादी दबी हुई आराजी को वापस पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुत0 का प्रतिवादी ने कोई हिस्सा नहीं दबा रखा है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 6 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से ताफैसला पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

7:–दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुब्बा, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 मम्मल, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063, किता–2, नकल फोटो प्रति मौका पर्चा आराजी खसरा नम्बर 273/0.19 , पेश किये ।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को एवं वकील प्रतिवादीगण ने अपने जबाव में दर्ज तथ्यो को ही पुनः दोहराया है ।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं बयान वादी विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की भूमि है। यह तथ्य पूर्णत निर्विवाद है। अतः यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादी मम्मल ने आराजी मुत0 के कुछ हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा करीब 1 वर्ष पूर्व कर लिया है।

तनकी संख्या 3 :– आया मुताबिक पैमाईश वादी की खातेदारी की आराजी प्रतिवादी मम्मल ने दबा रखी है।

तनकी संख्या 2 व 3 समान होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं बयान वादी विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की भूमि है। मुताबिक पैमाईश दिनांक 06/10/2017 आराजी खसरा नम्बर 273/0.19 की पैमाईश की गई है। खसरा नम्बर 274, 275 में दो गठ्ठा जमीन खसरा नम्बर 273 की निकलती है। जो कि वादी की आराजी है। पैमाईश में खसरा नम्बर 274, 275 के खातेदारों का वर्णन नहीं किया है। पैमाईश में यह नहीं लिखा है कि आराजी पर किस व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर रखा है। परन्तु बयान वादी से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मम्मल ने आराजी मुत0 के कुछ हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है। अतः तनकी संख्या 2 व 3 भी आंशिक रूप से वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादी दबी हुई आराजी को वापस पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 273 का वादी रिकार्डेड खातेदार है। तनकी संख्या 2 व 3 के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी मम्मल ने आराजी मुत0 के कुछ हिस्से पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है। इसलिए वादी दबी हुई आराजी को वापस पाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वहक वादी निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुत0 का प्रतिवादी ने कोई हिस्सा नहीं दबा रखा है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे मालूम होता हो कि प्रतिवादी ने आराजी का कोई हिस्सा नहीं दबा रखा है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से ताफैसला पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं बयान वादी विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण मदाखलत व मजाहमत करते है। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से ताफैसला पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

7:–दादरसी । तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी आशिंक डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नं0 273 / 0.19 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी से बेदखल किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner